



**उत्तर प्रदेश शासन**  
**औद्योगिक विकास अनुभाग-6**  
**संख्या- 24/2025/634/77-6-2025-6002(099)/2/2022**  
**लखनऊ: दिनांक 24 मार्च, 2025**  
**संशोधन/शुद्धि पत्र**

कृपया शासनादेश संख्या-19/2025/195/77-6-2025-6002(099)/2/2022 दिनांक 11.03.2025, जिसके द्वारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2012 के अन्तर्गत 02 औद्योगिक इकाईयों को ब्याज मुक्त ऋण की अवशेष 10 प्रतिशत धनराशि स्वीकृत की गयी है, के प्रथम प्रस्तर की 05वीं पंक्ति एवं द्वितीय प्रस्तर की तृतीय पंक्ति में धनराशि रुपये 165.00 करोड के स्थान पर त्रुटिवश धनराशि रुपये 125.00 करोड अंकित हो गया है।

2. अतएव उक्त शासनादेश संख्या-19/2025/195/77-6-2025-6002(099)/2/2022 दिनांक 11.03.2025 के प्रथम एवं द्वितीय प्रस्तर में उपर्युक्तानुसार अंकित धनराशि रुपये 125.00 करोड के स्थान पर धनराशि रुपये 165.00 करोड पढा जाय।

3. इस प्रकार उक्त शासनादेश दिनांक 11.03.2025 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा एवं पढा जाय।

प्रश्नगत शासनादेश की अवशेष विषयवस्तु यथावत रहेगी।

राम ध्यान रावत  
उप सचिव।

**संख्या- 24/2025/634(1)/77-6-2025-6002(099)/2/2022 एवं दिनांक तदैव।**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-**

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदार) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ/कानपुर।
3. अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेंट, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. प्रबन्ध निदेशक, पिकप को पत्रांक-इन्स-10-19/आई.आई.पी.एस.-2012/Vol.V/1218 दिनांक 23.01.2025 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु।
6. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
7. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

8. वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/4
9. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
10. नियोजन अनुभाग-1/4
11. औद्योगिक विकास अनुभाग-2
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
राम ध्यान रावत  
उप सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।  
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।